कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 23/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 22.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना जंगीपुर पुलिस टीम द्वारा शातिर तस्कर को 11 किलो 20 ग्राम गांजा व 01 अदद मोटर साईकिल के साथ किया गया गिफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.05.2025 को थानाध्यक्ष जंगीपुर मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अरसदपुर तिराहे से मऊ से वाराणसी जाने वाले हाईवे के पास से अभियुक्त रंजय कुमार मौर्या पुत्र नन्दलाल मौर्या निवासी ग्राम सिहाचवर थाना गडवार जनपद बलिया उम्र 26 वर्ष को 11 किलो 20 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

1 .अभियुक्त रंजय कुमार मौर्या पुत्र नन्दलाल मौर्या निवासी ग्राम सिहाचवर थाना गडवार जनपद बलिया।

आपराधिक इतिहास -

1 .मु0अ0सं0 44/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बासडीह जनपद बलिया।
2 .मु0अ0सं0 96/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी –

1 . 11 किलो 20 ग्राम गांजा
2 .01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP54AQ5313 सुपर स्प्लेन्डर

02. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 22.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 179/2019 धारा 302, 394, 452, 411 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रामबाबू सोनकर पुत्र मिठाई लाल सोनकर निवासी पक्का घाट कस्बा थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को 01. धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20,000/- अर्थदण्ड, 02. धारा 394 भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- का अर्थदण्ड 03. धारा 452 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- अर्थदण्ड, 04. धारा 411 भादवि मे 02 वर्ष का कारावास व 5000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

03. “श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”

दिनांक 22.05.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रामबाबू सोनकर पुत्र मिठाई लाल सोनकर निवासी पक्का घाट थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर